

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

फा.सं.4-2/2019 (प्रोत्साहन)-हिं.अ.

दिनांक: 23-07-2019

कार्यालय जापन

विषय : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अधिकारियों/संकाय-सदस्यों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने पर प्रोत्साहन योजना।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हिंदी में डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों/संकाय-सदस्यों के लिए प्रोत्साहन योजना लागू है जिसे वर्ष 2019-20 के लिए संस्थान में, एतद्वारा, परिचालित किया जाता है। इस योजना का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पात्रता

संस्थान में कार्यरत समूह 'क' के तहत वे सभी अधिकारी/संकाय-सदस्यगण इस योजना में भाग ले सकते हैं जो अपने सरकारी कामकाज के दौरान पूर्णतः अथवा कुछ हद तक हिंदी में डिक्टेशन देते हैं। केवल वही संकाय सदस्यगण/अधिकारीगण पुरस्कार के पात्र होंगे जो वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द डिक्टेशन देंगे।

2. पुरस्कार वर्ष:

इस योजना की अवधि प्रत्येक वित्तीय वर्ष अर्थात् 01 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 2020 तक लागू मानी जाएगी।

3. पुरस्कारों की संख्या

इस प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत निम्नानुसार पुरस्कार होंगे:

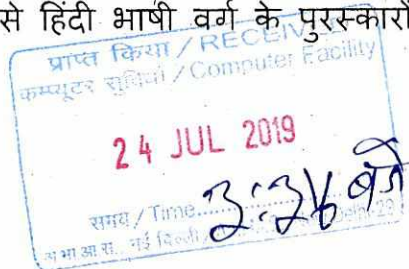
(क) हिंदी भाषी अधिकारियों/संकाय-सदस्यों हेतु

प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 25,000/-
द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 20,000/-
तृतीय पुरस्कार (एक)	₹ 15,000/-
प्रोत्साहन पुरस्कार (पांच)	₹ 10,000/-

(ख) अधिकारियों/संकाय-सदस्यों हेतु (जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है)

प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 25,000/-
द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 20,000/-
तृतीय पुरस्कार (एक)	₹ 15,000/-
प्रोत्साहन पुरस्कार (पांच)	₹ 10,000/-

इसके अतिरिक्त अन्य भाषा-भाषी वर्ग में यदि कोई प्रोत्साहन पुरस्कार शेष बचता है तो उसे हिंदी भाषी वर्ग के पुरस्कारों में सम्मिलित कर दिया जाएगा।



की संजय गुप्ता
24 जुलाई 2019
श्री. संजीव कुमार
संजय गुप्ता
25/7

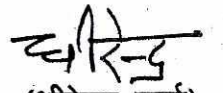
4. हिंदी डिक्शन की मात्रा

योजना के तहत पुरस्कार के लिए हिंदी डिक्शन शब्दों की न्यूनतम सीमा 10 हजार शब्द होगी। तथापि, पुरस्कारों का निर्धारण समुचित मात्रा में हिंदी शब्दों के डिक्शन एवं गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा। हिंदी में दिए गए डिक्शन का संबंधित अधिकारी/संकाय-सदस्य को स्वयं अथवा अपने निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक/सहायक के मार्फत संलग्न प्रोफार्मा में रिकॉर्ड रखना होगा जिसे प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर अपने सम्बद्ध विभाग/अनुभाग अध्यक्ष/केंद्र प्रमुख के माध्यम से हिंदी अनुभाग को मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

5. मूल्यांकन समिति

इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार निर्धारित करने के लिए डिक्शन कार्य के मूल्यांकन हेतु किसी उच्च अधिकारी/संकाय-सदस्य की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा वरिष्ठ हिंदी अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।

सभी अनुभागों/विभागों/केन्द्रों में कार्यरत अधिकारियों/संकाय-सदस्यों से अनुरोध है कि वे हिंदी में अधिक से अधिक डिक्शन देते हुए इस योजना में भाग लेकर संस्थान में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने में अपना भरपूर सहयोग दें।


(धीरेन्द्र वर्मा)

उप-सचिव एवं
राजभाषा अधिकारी

वितरण:

- 1 सभी केन्द्र-प्रमुखगण।
- 2 सभी विभाग/अनुभाग-अध्यक्षगण।
- 3 मुख्य प्रशासन अधिकारी।
- 4 वित्त सलाहकार।
- 5 अधीक्षण अभियंता।
- 6 कुल-सचिव।

कृपया इस पुरस्कार योजना की सूचना अधीनस्थ अधिकारियों/संकाय-सदस्यों की जानकारी में ला दें।

प्रतिलिपि: - निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक)/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।

- उप-निदेशक (प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- उप-सचिव एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- सभी नोडल राजभाषा अधिकारी।

✓ उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)-इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।



अधिकारी का नाम एवं पदनाम:

[illegible]

3